

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय:- उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक: 6086

दिनांक: 05/02/2024

सेवा मे,

सरपंच ग्राम पंचायत देवधर
ब्लॉक प्रतापनगर, जिला यमुनानगर।

विषय:- Diversion of 0.5118 hac. of Forest land for Passage to Gram Panchayat Devdhar to Belgarh, Tehsil Chhachhrouli, under forest Division and Distt. YNR. Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Road/40068/2019

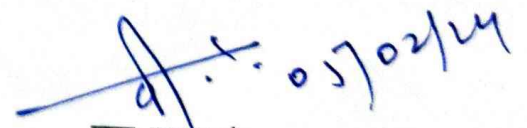
सन्दर्भ:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०) हरियाणा पंचकुला का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-8803/2811 दिनांक 05-02-2024.

उपरोक्त विषय के सम्बंध में आपको सूचित जाता है कि प्रस्तावित केस में State Govt. द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि डाईवर्टिड होने वाली वन भूमि के बदले दोगुनी वन भूमि पर पौधारोपण अनुसार संशोधित राशि यूजर एजेंसी से जमा करवाई जाये। जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा दोगुनी वन भूमि $0.5118 \times 2 = 1.024$ (1024 Plants) अनुसार सी०ए० साईट का चयन करके उसकी सी०ए० स्कीम तैयार करके अनुमोदन हेतु अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०) हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी। जिसको सन्दर्भांकित पत्र के माध्यम से अनुमोदित कर दिया गया है।

अतः संशोधित सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा बकाया राशि निम्नप्रकार से जमा करवाई जानी है:-

Sr. No.	Amt. Deposited as per old CA Scheme (in Rs.)	Amt. Deposited as per NPV (in Rs.)	Total Amt. Deposited	Total Amt. as per New CA Scheme (in Rs.)	Balance Amt.
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
1	266921	453967	720888	487538	220617

अतः उपरोक्त अनुसार बकाया राशि 220617/- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाये ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।


उप वन संरक्षक
यमुनानगर।